

30 सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही (01.07.2025 से 30.09.2025 तक) हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक (दिनांक 15.10.2025) के विवरण

कार्यालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की प्रगति से सम्बंधित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में 01.07.2025 से 30.09.2025 तक की तिमाही के दौरान हिन्दी में किए गए कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे -

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम व पद	
1.	श्री पुरुषोत्तम तिवारी, प्रधान महालेखाकार (ले.प.)	अध्यक्ष
2.	श्री संदीप डाबर, व. उप महालेखाकार (प्र.)	सचिव
3.	श्री ओम प्रकाश डोई, सहायक निदेशक, राजभाषा	सदस्य
4.	श्रीमती दीपा चौहान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
5.	श्रीमती पूनम गुप्ता, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
6.	श्रीमती सविता मरवाहा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
7.	श्री राकेश शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
8.	श्री राजेश नरवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
9.	श्रीमती उषा किरण, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
10.	श्रीमती प्रीति शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
11.	श्रीमती ज्योति शर्मा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
12.	श्री महेंद्र सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
13.	श्री योगेन्द्र यादव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
14.	श्री अरविन्द सूद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
15.	श्री कश्मीर चंद, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
16.	श्री नरेश ठाकुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
17.	श्री दीपक जोशी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
18.	श्री रामदास भवानी, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
19.	श्री जोगेंद्र, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
20.	श्री मनोहर ग्रेवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
21.	श्री राकेश भान, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
22.	श्रीमती सूरज नेगी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी	सदस्य
23.	सुश्री समता खानचंदानी, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य
24.	श्री राम प्रकाश मीणा, कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	सदस्य
25.	श्री राहुल मेघवाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षक	सदस्य

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की प्रथम तिमाही बैठक के कार्यवृत्त

सर्वप्रथम सहायक निदेशक (राजभाषा) ने उपस्थित सभी सदस्यों का अभिवादन किया, तदोपरांत जिन मदों पर विचार-विमर्श किया गया उनके विवरण निम्नवत हैं -

मद संख्या -1. बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों को पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों एवं उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही से अवगत करवाया गया। साथ ही मुख्यालय दल द्वारा किये गए राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण की जानकारी दी गई।

मद संख्या-2. (1) समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों (राजभाषा नियम-5) का उत्तर दिए जाने में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत **98.27%** रहा।

(2) अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिए जाने में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत **97.14%** रहा।

(3) इस तिमाही में कार्यालय में हिन्दी में अपनी ओर से भेजे गए पत्रों की प्रतिशतता 'क', क्षेत्र में **99.6%** 'ख' क्षेत्र में **87.17%** व 'ग' क्षेत्रों में **81.81%** रही।

(4) इस तिमाही में कार्यालय में फाइलों/दस्तावेजों पर हिन्दी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत **96.48%** रहा।

मद संख्या-3. समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस तिमाही के दौरान कार्यालय के दो अनुभागों -1. सामाजिक क्षेत्र (एआरसी)-एएमजी-1 एवं 2. सामाजिक क्षेत्र (मुख्यालय)-एएमजी-1 में किए जा रहे हिन्दी कार्यों की प्रगति का निरीक्षण जाँच-बिन्दुओं के आधार पर किया गया। निरीक्षण के दौरान उनके अभिलेखों में रजिस्ट्रारों/दैनिकियों के मुख-पृष्ठ द्विभाषी न होना अथवा अंग्रेजी के शीर्षक पहले होना, कुछ प्रविष्टियां एवं कुछ स्थानों पर हस्ताक्षर अंग्रेजी में होना, इत्यादि जैसी कमियां यदि पाई गई, तो उन्हें ठीक करवा दिया गया।

मद संख्या-3. समिति के सदस्यों को जानकारी दी गई कि इस तिमाही के दौरान एक पूर्ण दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 16 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मद संख्या -4. अध्यक्ष महोदय ने वार्षिक कार्यक्रम के पत्राचार लक्ष्यों की प्राप्ति पर संतोष प्रगट करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्यों को निम्नलिखित निर्देश दिए -

1. हिन्दी में पत्राचार के शत-प्रतिशत लक्ष्य को बनाए रखने का हर संभव प्रयास करें।
2. कार्यालयीन प्रयोजन में सरल हिन्दी का प्रयोग करने का प्रयास करें।
3. हिंदी कार्यशाला में सभी की सहभागिता सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय की संयुक्त हिंदी पत्रिका "हिमप्रभा" में निःसंकोच लेख व रचनाएं प्रेषित करें।
5. सभी अनुभागों के शाखा अधिकारी हिन्दी तिमाही प्रतिवेदन में भरे गए आंकड़ों की सटीकता एवं राजभाषा नियमों की अनुपालना पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए हिन्दी अनुभाग को प्रतिवेदन निर्धारित तिथि पर भेजना सुनिश्चित करें।

तदोपरांत धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक सम्पन्न हुई।


वरिष्ठ उप-महासूत्राकार (प्रशासन)